

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 544 का उत्तर

पश्चिम बंगाल में चल रही रेलवे परियोजनाएं

544. श्री खलीलुर रहमान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पश्चिम बंगाल में चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और स्थिति क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं पर अब तक आवंटित और व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाओं की संख्या कितनी है और इनमें देरी के कारण होने वाले वित्तीय प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): पश्चिम बंगाल:

हाल के वर्षों में बजट आबंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

| अवधि | परिव्यय |
|---------|------------------------------------|
| 2009-14 | 4,380 करोड़ रुपए प्रति वर्ष |
| 2025-26 | 13,955 करोड़ रुपए (3 गुना से अधिक) |

बहरहाल, 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 67,991 करोड़ रुपए लागत की कुल 4402 कि.मी. लंबाई की 42 रेल परियोजनाएं (12 नई लाइन, 04 आमान परिवर्तन और 26 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 1702 कि.मी. लंबाई को पूरा कर दिया गया है और मार्च, 2025 तक लगभग 23,410 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

| श्रेणी | परियोजनाओं की संख्या | कुल लंबाई (कि.मी. में) | मार्च, 2025 तक पूरी की गई लंबाई (कि.मी. में) | मार्च, 2025 तक कुल व्यय (करोड़ रुपए में) |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| नई लाइन | 12 | 1032 | 337 | 11368 |
| आमान परिवर्तन | 4 | 1201 | 854 | 3673 |
| दोहरीकरण/ मल्टी ट्रैकिंग | 26 | 2169 | 511 | 8370 |
| कुल | 42 | 4402 | 1702 | 23410 |

पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का कार्य निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। पश्चिम बंगाल राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| कुल अपेक्षित भूमि | 4654 हेक्टेयर |
| अधिगृहीत भूमि | 1250 हेक्टेयर (27%) |
| अधिग्रहण के लिए शेष भूमि | 3314 (73%) |

भूमि अधिग्रहण के कारण कुछ प्रमुख परियोजनाओं में विलंब का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | कुल आवश्यक भूमि (हेक्टेयर में) | अधिगृहीत भूमि (हेक्टेयर में) | अधिग्रहण के लिए शेष भूमि (हेक्टेयर में) | राज्य को भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपए में) |
|---------|---|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1. | नबद्वीप घाट- नबद्वीप धाम नई लाइन परियोजना | 106.71 | 0 | 106.71 | 50 |
| 2. | सांईथिया में बाईपास | 22.28 | 0 | 22.28 | 0 |
| 3. | नैहाटी - रानाघाट तीसरी लाइन | 13.33 | 0 | 13.33 | 1.3 |

इसके अलावा, हुगली जिले में पड़ने वाली तारकेश्वर-बिष्णुपुर (83 कि.मी.) नई लाइन परियोजना का कार्य, गोघाट-कामारपूर खंड में कानून और व्यवस्था की समस्याओं के कारण रुका हुआ है। भाबदिघी तालाब के समीप लगभग 900 मीटर लंबाई में स्थानीय ग्रामीण निवासियों द्वारा कार्य रोक दिया गया था। यह कार्य वर्ष 2016 से रुका हुआ है।

देशप्राण-नंदीग्राम (18.5 कि.मी.) लाइन को 2009-10 में ₹121.44 करोड़ की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना की पूर्ण लंबाई पूर्वी मेदिनीपुर ज़िले में अवस्थित है। भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी और इसे रोक दिया। अप्रैल 2023 में कार्य पुनः आरंभ करने का निश्चय किया गया। बहरहाल, देशप्राण से 5.0 कि.मी. तक भूमि अधिग्रहण के सर्वेक्षण का कार्य कानून-व्यवस्था की समस्याओं के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका है। चूंकि देशप्राण एक कनेक्टिंग स्टेशन है, अतः इस परियोजना को चालू करने के लिए इस भूमि का अधिग्रहण करना अत्यावश्यक है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति अनेक मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जो निम्नानुसार हैं:

- यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता।
- परियोजना प्रदत्त प्रथम तथा अंतिम छोर संपर्कता।
- मिसिंग लिंक को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना
- संकुलित/संतृप्त लाइनों को बढ़ाना
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगें,
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएं
- सामाजिक-आर्थिक प्रतिफल
- निधि की कुल उपलब्धता

रेल परियोजना/ओं का पूर्ण होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जो निम्नानुसार हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण।
- वानिकी स्वीकृति।
- बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण।
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां ।
- क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां ।
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति।
- किसी परियोजना विशेष के स्थल के लिए किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।
